

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक: स्था0 02/02-03/2017/.....20..... /पटना, दिनांक...24-08-17

प्रेषक,

पूनम (भा०प्र०से०),
निदेशक।

सेवा में,

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना, नालन्दा, भोजपुर, बक्सर, गया, जहानाबाद, अरबल, बेगूसराय, खगड़िया, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, मधेपुरा, सीतामढ़ी, पूर्वी चम्पारण एवं प० चम्पारण,

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2017-18 में मुख्य शीर्ष 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय उपशीर्ष 0001 प्रखंड स्तर पर सांख्यिकी यंत्र शीर्ष के अन्तर्गत कुल राशि ₹ 16318300/- (एक करोड़ तिरसठ लाख अठ्ठारह हजार तीन सौ) रुपये मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक-428/वि० दिनांक-31.03.17 के द्वारा सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बिहार विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2017 पर महामहिम राज्यपाल द्वारा 31.03.2017 को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

2. उक्त पत्र के कंडिका 3 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए प्रावधानित राशि की सीमा तक व्यय किया जा सकता है।

3. तदनुसार उक्त पत्र के कंडिका-3 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय करने के लिए राशि आवंटित की जाती है।

4. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 204-केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन 0001-प्रखंड स्तर पर सांख्यिकी यंत्र शीर्ष के अंतर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं०-35 एवं विपत्र कोड-35-3454022040001 है।

5. संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 से 16 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे।

6. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र पर निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण-पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है।

7. प्रत्येक परिस्थिति में मद्दवार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. व्यय का मासिक प्रतिवेदन अनुवर्ती माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंटन, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं जिम्मेवार होंगे।

9. सरकारी कर्मियों के लिए अनिवार्य कम्प्यूटर दक्षता परीक्षा (NILET) में उत्तीर्ण पदाधिकारियों/कर्मियों के द्वारा भुगतान की गई प्रशिक्षण शुल्क/शुल्क का नियमानुसार भुगतान प्रशिक्षण व्यय मद में आवंटित राशि से किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

10. वित्त विभाग के ज्ञापांक 599 दिनांक 07.07.2010 के आलोक में वेतन एवं भत्ते से संबंधित विषय शीर्षो -01-01 से 01-07 में यदि किसी विषय शीर्ष में कम राशि प्रावधानित/आवंटित है तो जिस विषय शीर्ष में अधिक राशि प्रावधानित आवंटित है में से घटाते हुए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार राशि की निकासी की जा सकती है।

11. आवंटित राशि को नियमानुसार व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।



बजट सहायक

प्रशाखा पदा०



सहायक निदेशक

विश्वासभाजन



निदेशक

ज्ञापांक 20/पटना, दिनांक 24-08-17

प्रतिलिपि: 1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



निदेशक

ज्ञापांक 20/पटना, दिनांक 24-08-17

प्रतिलिपि: 1. संबंधित सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



निदेशक

ज्ञापांक 20/पटना, दिनांक 24-08-17

प्रतिलिपि:-1. योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)।

2. वरीय संयुक्त निदेशक /सभी उप निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय।

3. कार्यालय लेखापाल (दो प्रतियों में)/श्री शशि रंजन सिन्हा, कार्यालय परिचारी (गार्ड फाईल) में चिपकाने हेतु एवं निर्गत प्रशाखा को निर्गत करने एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

4. श्री अनिल चन्द्र प्रकाश, कनीय सांख्यिकी सहायक, कम्प्यूटर कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस आवंटन आदेश को सभी संबंधितों के ई-मेल पर प्रेषित करते हुए निदेशालय के वेबसाइट पर अपलोड करना/कराना सुनिश्चित करें।



निदेशक




आवंटन विवरणी


मुख्य शीर्ष 3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02- सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी संगठन, उप शीर्ष- 0001- प्रखंड स्तर पर सांख्यिकी यंत्र शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 का आवंटन विवरणी । मांग सं० 35 एवं विपत्र कोड-35-3454022040001

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	01-01 वेतन	01-03 जीवन यापन भत्ता	01-04 मकान किराया भत्ता	01-05 परिवहन भत्ता	01-06 चिकित्सा भत्ता	योग- वेतन एवं भत्ते	06-01 चिकित्सा प्रतिपत्ति	11-01 यात्रा व्यय	13-01 कार्यालय व्यय	20-03 प्रशिक्षण व्यय	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
जिला सांख्यिकी कार्यालय												
1	पटना	1500000	700000	75000	6000	14000	2295000	-	20000	-	-	2315000
2	नालन्दा	300000	100000	90000	-	11000	501000	-	-	-	10000	511000
3	भोजपुर	512500	100000	23100	-	6800	642400	12000	40000	-	-	694400
4	बक्सर	1350000	500000	15000	-	3000	1868000	-	15000	-	-	1883000
5	गया	2000000	700000	38500	-	14400	2752900	-	-	-	-	2752900
6	जहानाबाद	200000	100000	41500	-	-	341500	-	20000	-	-	361500
7	अरबल	150000	100000	-	-	400	250400	-	10000	-	-	260400
8	बेगूसराय	457000	100000	30000	-	6200	593200	-	-	-	-	593200
9	खगड़िया	600000	30000	95200	-	2800	728000	-	15000	-	-	743000
10	शेखपुरा	200000	100000	-	-	-	300000	-	-	-	-	300000
11	जमुई	400000	100000	-	-	1200	501200	-	-	-	-	501200
12	भागलपुर	1000000	400000	17800	-	8400	1426200	-	5000	-	-	1431200
13	मधेपुरा	500000	150000	-	-	2200	652200	-	-	-	-	652200
14	सीतामढ़ी	227500	310000	22800	-	3000	563300	-	-	-	-	563300
15	पूर्वी चम्पारण	1000000	600000	31600	-	2400	1634000	-	45000	-	-	1679000
16	प० चम्पारण	800000	200000	16800	-	10200	1027000	-	50000	-	-	1077000
	कुल योग:-	11197000	4290000	497300	6000	86000	16076300	12000	220000	0	10000	16318300

(एक करोड़ तिरसठ लाख अट्ठारह हजार तीन सौ) रुपये मात्र।


बजट सहायक


प्रशाखा पदाधिकारी


सहायक निदेशक


निदेशक

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

बिहार सरकार,
वित्त विभाग ।

पटना, दिनांक

प्रेषक,

मिहिर कुमार सिंह,
सचिव (न्यय)

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव/प्रमंडलीय आयुक्त/जिलाधिकारी,
सभी कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी, बिहार, पटना ।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2010-11 एवं आने वाले वित्तीय वर्षों के आय-व्यय में वेतन की विषय शीर्षों में उपरोक्त राशि का घट-बढ़ होने पर उसका परिमार्जन करने के संबंध में ।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2010-11 के बजट प्राक्कलन में वेतन एवं भत्ते के अधीन विभिन्न विषय शीर्षों में शिवांगी प्राप्त सूचना के आधार पर अलग-अलग राशि बजट पुरतिवका में कर्णांकित की गयी है । सभी विषय शीर्षों का योग वेतन एवं भत्ते मद में सन्निहित होता है । ऐसी संभावना है कि कुछ उप शीर्षों में सूचना के आभाव में देय भत्तों का अलग-अलग चिन्हित नहीं किया जा सका हो या वेतन के किसी विषय शीर्ष/मद में राशि का कम या अधिक प्रावधान कराया गया हो । ऐसी दशा में जिन विषय शीर्षों में राशि कम पड़ रही हो वहाँ वेतन एवं उनकी अन्य विषय शीर्षों में जहाँ राशि अधिक उपबंधित हो में से लेकर सामंजन करने के संबंध में विचार किया गया ।

2. विचारोपरान्त सरकार ने निर्णय लिया है कि अगर किसी उपशीर्ष में वेतन की किसी विषय शीर्षों में राशि का प्रावधान नहीं कराया जा सका है अथवा कम प्रावधान कराया गया है तो उक्त भत्ते के लिए बजट में प्रावधान वेतन मद की राशि अथवा वेतन का ऐसा अन्य विषय शीर्ष निर्धारित किया जा सकता है, जो से प्रत्येक उप शीर्ष विषय शीर्ष जहाँ राशि की आवश्यकता है का आवंटन किया जाय । वेतन एवं उनके देय भत्ते को वेतन विषय शीर्ष 01-01 से 01-07 तक में माना गया है । अतएव इन विषय शीर्षों (01-01 से 01-07 तक) में उपबंधित राशि के विनियम के लिए पुनर्विनियोग की आवश्यकता नहीं है ।

3. अगर किसी कारणवश आवंटन देने वाले पदाधिकारी द्वारा ऐसा नहीं किया जा सका हो तो निचररी एवं व्यय पदाधिकारी जिन्हें आवंटन प्राप्त हुआ है, का दायित्व है कि विपत्रों को कोषागार में प्रेषित करने के पूर्व आवश्यकतानुसार वेतन एवं उनके भत्तों के लिए अलग-अलग विषय शीर्षों में राशि को कर्णांकित करने के तत्पश्चात् विपत्र में आवश्यक उल्लेख कर लिया जाय ।

4. यह प्रावधान वित्तीय वर्ष-2010-11 एवं आने वाले वित्तीय वर्षों में भी लागू रहेगा ।

विश्वासमान,

ह०/

(मिहिर कुमार सिंह)

सचिव (न्यय) ।

ज्ञापांक...../वि० (2) पटना, दिनांक...../

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(मिहिर कुमार सिंह)

सचिव (न्यय) ।

ज्ञापांक...../वि०, (2) पटना, दिनांक...../

प्रतिलिपि-महामहिम राज्यपाल के सचिव/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना/आरक्षी महानिदेशक, बिहार पटना/ सचिव, बिहार विधानसभा/सचिव, बिहार प्रधान परिषद/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सचिव, राज्य पाठ्य/ग्राम्य सूचना आयोग के सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आस सचिव/विद्यार्थ आयुक्त के सचिव/लोकायुक्त के सचिव को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(मिहिर कुमार सिंह)

सचिव (न्यय) ।

ज्ञापांक-...../वि०, (2) पटना, दिनांक-...../.....

प्रतिलिपि:- अध्यक्ष बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(मिहिर कुमार सिंह)
सचिव (व्यय) ।

ज्ञापांक-...../वि०, (2) पटना, दिनांक-...../.....

प्रतिलिपि:-महानिदेशक अभियोजना निदेशालय, गृह विभाग/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय/निदेशक, समाजिक सुरक्षा निदेशालय, निदेशक, श्रम निदेशालय, श्रम संसाधन विभाग/निदेशक पुरातत्व निदेशालय/निदेशक संग्रहालय निदेशालय, कला संस्कृति एवं युवा विभाग/निदेशक, गव्य निदेशालय/निदेशक, मत्स्य निदेशालय/निदेशक, पशु निदेशालय, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/निदेशक, जन शिक्षा/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, शिक्षा/निदेशक शोध एवं प्रशिक्षण/निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्/निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग/निदेशक, कृषि निदेशालय, कृषि विभाग/ निदेशक, चकबंदी/निदेशक, भू-अर्जन निदेशालय/निदेशक, सर्वे निदेशालय राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय/निदेशक, अभिलेखागार/निदेशक, संरक्षण/निदेशक, देशी चिकित्सा/निदेशक, प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार/सचिव, वाणिज्य-व्यायाधिकरण/उप सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय/मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त अंकेक्षण विभाग/निदेशक, प्रेस एवं स्टेशनरी/संयुक्त आयुक्त, लेखा प्रशासन/वित्त विभाग के सभी संयुक्त सचिव/उप सचिव, अवर सचिव/प्रधान सचिव के सचिव/उप सचिव/संसाधन के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(मिहिर कुमार सिंह)
सचिव (व्यय) ।

ज्ञापांक-...../वि०, (2) पटना, दिनांक-...../.....

प्रतिलिपि स० ब० नियंत्रक/बजट शाखा के सभी लेखा पदाधिकारी एवं सहायकों को सूचनार्थ एवं कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(मिहिर कुमार सिंह)
सचिव (व्यय) ।

06/07